Full Title of the Project: UP-gradation and 4-lanning of Paonta Saheb-Ballupur (Dehradun) Section of NH-72 (Km 104.00 to Km 149.00) in the state of Uttarakhand.
Proposal No. : FP/UK/ROAD/121027/2021
Date of Proposal: 29th January. 2021
Forest Land Proposed For Diversion: Total Area : 24.1884 Hectare

प्रारूप–2

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग –72 के कि0मी0 104.00 से कि0मी0 149.00 में मौजुदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सृद्धढीकरण एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु कुल 24.1884 हे0 वन भूमि प्रभावित है। परियोजना की कुल लंबाई 45.00 कि0मी0 है।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 800 करोड़
	घ)वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग –72 पर आने वाले ट्रैफिक में वाहनों की संख्या अत्यधिक होने व सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण सड़क पर कई घंटे वाहन जाम में खड़े रहते हैं जिससे जनमानस को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा राष्ट्र को आर्थिक क्षति पहुंचती है। अतः सड़क की चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण का कार्य होना आवश्यक है। चुकि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग–72 के कि0मी0 3.610 से 3.905, कि0मी0 4.440 से 5.740, कि0मी0 5.835 से 8.235, कि0मी0 8.730 से 12. 298, कि0मी0 12.406 से 12.697 तथा 13. 110 से 14.450 भाग वन भूमि से गुजरता है अतः सड़क के चोड़ीकरण हेतु वन भुमि की आवश्यकता अनिवार्य है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से लगभग 250 (50 कुशल व 200 अकुशल लोगो को 730 कार्यदिवस तक) को स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
तिमली रेंज (धर्मावाला)
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0–वसन्त विहार, देहरादून।

2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	सड़क निर्माण एवं भूस्खलन उपचार (है0)	मलबा निस्तारण (है0)	कुल वन भूमि (है0)
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है			
	क) परिवारों की संख्या	0		
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।		
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।		
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हॉ/नहीं)	नहीं।		
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।		
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेंजों का ब्यौरा।	सूची संलग्न है जिसमें समस्त विवरण उपलब्ध है।		

दिनांक :– .....

स्थान :– देहरादून

पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यु., बसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0–बसन्त विहार, देहरादून।

वन क्षेत्राधिकारी
तिमली रेंज (धर्मावाला)
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी

प्रस्ताव की क्रम संख्या .....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)